प्रेस नोट दिनांक 07.11.2020

थाना इज्जतनगर जनपद बरेली

थाना इज्जतनगर #bareillypolice द्वारा मु0अ0सं0 902/2020 धारा 302/201/120 बी / 34 आईपीसी की वांछित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक द्वारा थाना इज्जतनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 902/2020 धारा 302/201/120 बी / 34 आईपीसी में अभि0 गण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभि0 गण की गिरफ्तारी की गयी।

थाना स्थानीय पर दिनांक 16.1020.20 को वादिनी अन्न पूर्णा देवी पत्नी बाबू सिंह नि0 ग्राम भीतरी थाना नारखी जिला फिरोजाबाद द्वारा अपने पुत्र अवधेश सिंह उम्र 42 वर्ष की गुम होने के सम्बन्ध में गुमशुदगी दर्ज करायी थी। जिसकी जाँच उ0नि0 श्री प्रवीन कुमार द्वारा की जा रही थी। दिनांक 25.10.2020 को वादिनी अन्न पूर्णा देवी उपरोक्त द्वारा अपने पुत्र अवधेश की हत्या कर शव छिपा देने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर तहरीर दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 902/2020 धारा 147/302/201 आईपीसी बनाम अपने पुत्र अवधेश की पत्नी विनीता व ससुर अनिल , साली ज्योती व साला प्रदीप निवासीगण ग्राम खेरिया- खुर्द थाना नारखी जिला फिरोजाबाद व अन्य लोगो पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना मुझ एसएचओ द्वारा की गई। मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त गण की तलाश हेतु थाना हाजा से उ0नि0 प्रवीन कुमार , का0 3025 प्रभात कुमार , म0का0 3105 अन्नू शर्मा की एक पुलिस टीम को गठित कर थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद रवाना किया गया था। थाना नारखी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 417/2019 धारा 457/380/411 आईपीसी में मय चोरी के माल सहित अभियुक्त शेर सिंह उर्फ चीकू पुत्र महीपाल सिंह नि0 नारखी धौकल थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद को गिरफ्तार किया गया। अभि0 शेर सिंह उर्फ चीकू शातिर किस्म का अपराधी एवं हिस्ट्रीशीटर होने के कारण थाना नारखी पर विस्तृत पूछताछ की गई। जिसमें पूछताछ के दौरान उसने बताया कि दिनांक 12.10.2020 को उसने अपने अन्य साथी भोला गुप्ता पुत्र अशोक गुप्ता निवासी नारखी धौकल थाना नारखी जनपद बरेली व पप्पू जाटव उर्फ अखण्ड प्रताप पुत्र स्व प्रेमपाल नि0 जरानी खुर्द थाना सकरौली जनपद एटा व मृतक अवधेश की पत्नी विनीता पुत्री अनिल सिह जादौन , साली ज्योति पुत्र अनिल सिंह जादौन , साला प्रदीप सिंह जादौन पुत्र अनिल सिंह जादौन व ससुर अनिल सिंह जादौन (फौजी) पुत्र स्व कंचनपाल नि0 गण खेरिया खुर्द थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद व साले प्रदीप के दोस्त अमित सिसौदिया पुत्र रामबहादूर नि0 एतमादपुर के पास जनपद आगरा के साथ मिलकर दोस्ती में व पैसे के लालच मे आकर मास्टर अवधेश सिंह पुत्र स्व श्री बाबू सिंह निवासी भीतरी थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद की हत्या करने व उसकी लाश को एक खाली खेत में खोद कर दबा देना बताया था। तब अभियुक्त शेर सिंह उर्फ चीकू ने खुद की निशादेही पर थाना नारखी पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मृतक अवधेश सिंह की लाश को थाना नारखी क्षेत्र अन्तर्गत बरामद कराया था। अभियुक्त शेर सिंह उर्फ चीकू का थाना हाजा के उक्त अभियोग में बी – वारण्ट बनवाकर जिला कारागार फिरोजाबाद व न्यायालय सी0जे0एम दाखिल किया गया। विवेचना से उक्त अभियोग में धारा 34 /120बी आईपीसी की वृद्धि की गयी तथा धारा 147 आईपीसी को विलुप्त किया गया। दूसरे प्रकाश में आये अभियुक्त पप्पू जाटव उर्फ अखण्ड प्रताप पुत्र स्व प्रेमपाल नि0 जरानी खुर्द थाना सकरौली जनपद एटा को दिनांक 31.10.2020

को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसके द्वारा भी मृतक अवधेश सिंह की हत्या का जुर्म इंकबाल किया गया। तत्पश्चात दिनांक 06.11.2020 को मृतक अवधेश सिंह की पत्नी नामजद अभियुक्ता श्रीमती विनीता पत्नी अवधेश कुमार पुत्री अनिल सिंह जादौन निवासी खेरिया खुर्द थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद हाल पता निर्मल रेजीडेन्सी फेस 01 थाना इ0नगर बरेली को मुखबिर की सूचना पर मिनी बाईपास रामपुर रोड टी -प्वाईट से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने अपने पति मृतक अवधेश कुमार की हत्या को अपने पिता अनिल सिह जादौन पुत्र स्व श्री कंचनपाल अपने भाई प्रदीप सिंह जादौन पुत्र अनिल सिंह जादौन व अपनी बहन ज्योति पुत्री अनिल सिंह जादौन नि0गण खेरिया खुर्द थाना नारखी जनपद फिराजाबाद व शेर सिंह उर्फ चीकू पुत्र महिपाल सिंह निवासी नारखी धौकल थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद , भोला गुप्ता पुत्र अशोक गुप्ता नि0 नारखी धौकल थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद , पप्पू जाटव उर्फ अखण्ड प्रताप पुत्र स्व प्रेमपाल निवासी जरानी खुर्द थाना सकरौली जनपद एटा व अपने भाई प्रदीप के दोस्त अमित सिसौदिया पुत्र रामबहादूर नि0 एतमादपुर के पास जनपद आगरा के साथ मिलकर नौकरी व जायजाद के लालच में करने का जुर्म इंकबाल किया गया। अभियुक्ता को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया।

घटनास्थल/ दिनांक/ समयः -निर्मल रेजीडेन्सी मकान मृतक दिनांक 13.10.2020 समय अ0त0।

नाम पता अभियुक्त/नामजदः-

1. श्रीमती विनीता पत्नी अवधेश सिंह पुत्री अनिल सिंह जादौन नि0 खेरिया खुर्द थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद हाल नि0 निर्मल रेजीडेन्सी थाना इ0नगर जनपद बरेली**(– गिरफ्तार दिनांक 06.11.2020)**

2. अनिल सिंह जादौन (फोजी) पुत्र स्व कंचनपाल सिंह निवासी नि0 खेरिया खुर्द थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद-**(गिरफ्तारी हेतु शेष)**

3. प्रदीप सिंह जादौन पुत्र अनिल सिंह जादौन (फोजी) नि0 नि0 खेरिया खुर्द थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद-**(गिरफ्तारी हेतु शेष)**

4. ज्योति पुत्री अनिल सिंह जादौन नि0 उपरोक्त- **(गिरफ्तारी हेतु शेष)**

नाम पता अभियुक्त प्रकाश में आयेः--

5.शेर सिंह उर्फ चीकू पुत्र महीपाल सिंह नि0 नारखी धौकल थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद – **(गिरफ्तार दिनांक 25.10.2020)**

6.पप्पू जाटव उर्फ अखण्ड प्रताप पुत्र प्रेमपाल नि0 जुरानी खुर्द थाना सकरौली जनपद एटा**(गिरफ्तार दिनांक 31.10.2020)**

7.भोला पुत्र अशोक गुप्ता निवासी नारखी धौकल थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद **(गिरफ्तारी हेतु शेष)**

8.अंकित उर्फ अमित पुत्र नामालूम निवासी नामालूम- **(गिरफ्तारी हेतु शेष)**

गिरफ्तार करने वाली टीमः- एसएचओ के0के0 वर्मा 2. एसआई प्रवीन कुमार 3. का0 3025 प्रभात 5. का0 827 केशव 6. का0 1252 अजय तोमर 7. म0का0 291 रूबी सरोज 8. म0का0 3145 पारूल शर्मा 9. म0का0 3105 अन्नू शर्मा ।

सोशल मीडिया सैल
जनपद बरेली